

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक A/7961 /

जबलपुर, दिनांक 14 / 11 / 2024

श्रीमती जितु ढोक, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22.11.2024 से 20.05.2025 तक 180 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

  
(वैभव मंडलोई)


प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सर्तकता)

पृष्ठांकन क्रमांक A/7962 /

जबलपुर, दिनांक 14 / 11 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती जितु ढोक, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)